अधिकारी

# ालय उपखण्ड ........................ कठूमर जिला अलवर

2/201/2021 तारीख रजू........................

यादराम बनाम बत्तू वगैरा

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| .9.2021 | वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।<br>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 न0 142, 167, वाके ग्राम दुघाटी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति वनाये रखे।<br>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 18.11.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 18.11.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर) | |
| 18/11/22 | वकील प्रार्थी ...उपस्थित<br>साबिक आदेश दिनांक...<br>को सलग्न में पत्रावली वास्ते तलबी<br>दिनांक 31/3/22 को पेश हो।<br><br>खण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर) | 299.<br>2.10<br>15/3/22 |
| 31/3/22 | वकील प्रार्थी ...उपस्थित<br>साबिक आदेश...<br>... र.सावी रजि. उपस्थित | |

2/3/24

वकील अर्जी उपस्थित नहीं आये वकील प्रत्यर्थी
जारी को बार-2 आवाज दिलाई गई कोई
उपस्थित नहीं आया अतः अर्जी को प्रार्थना
-पत्र पर रखा वकील अर्जी की अदम पैरवी
अदम हाजरी में खारिज किया जाता है पत्रावली
मे मूल शुमार होकर मुकदमा के साथ मशमूल रिकॉर्ड हो

2.3.24

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कठूमर (अलवर) राज०